न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 88/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 2.8.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. कन्हैयालाल आत्मज पृथ्वीराज जाति ब्राहमण
2. महावीर
3. सुरेन्द्र कुमार
   पुत्रान हरिशंकर जाति ब्राहमण
4. रूकमणी बाई बेवा हरिशंकर जाति ब्राहमण
   निवासीगण ग्राम रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा

...अपीलाट्स

बनाम

1. उच्छब कंवर तथाकथित पुत्री स्व0 नन्दबिहारी पत्नी नन्दकिशोर ब्राहमण निवासी रामपुरिया
2. रामकन्याबाई तथाकथित पत्नी स्व0 नन्दबिहारी ब्राहमण निवासीगण रामपुरिया हाल मुकाम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री उत्तमचंद खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री तेजमल जेन अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 10.1.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा श्रीमती रामकन्याबाई पत्नी स्व0 नन्दबिहारी, श्रीमति उच्छबकंवर पुत्री नन्दबिहारी ब्राहमण निवासी हाल इटावा ने स्व0 नन्दबिहारी ब्राहमण की विरासत के नामा0 की एक तरफा कार्यवाही एवं निर्णय को निरस्त करने बावत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय दिनांक 23.6.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपीलार्थी द्वारा न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया, कि न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा ने श्रीमती रामकन्याबाई पत्नी स्व0 नन्दबिहारी श्रीमति उच्छबकंवर पुत्री नन्दबिहारी ब्राहमण निवासी हाल इटावा ने स्व0 नन्दबिहारी ब्राहमण की विरासत के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये स्वयं के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.5.2015 को निरस्त कर त्रुटि की है क्योंकि स्वयं के द्वारा दिये गये आदेश को परीक्षण न्यायालय को नही है उक्त आदेश की पालना मे नामा0 सं0 761 स्वीकृत कर दिया गया था ऐसी स्थिति मे रेफ्रेन्स हेतु जिला कलक्टर को भिजवाया जाना चाहिये था। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया कि मृतक नन्दबिहारी के दो भाई कन्हैयालाल एवं हरिशंकर थे जिनमे से हरिशंकर का भी स्वर्गवास हो चुका है नन्दबिहारी आजीवन अविवाहित रहा इस कारण उसके कोई संतान नही हुई। नन्दबिहारी ने रेस्पो0 क्रम–2 रामकन्या जो मीणा जाति की है को अपने निवास मे घरेलू कार्य एवं रोटी आदि बनाने हेतु कर्मचारी के तौर पर रख लिया उस समय वह विवाहित थी उसके पति का नाम कर्मचन्द मीणा नि0 कालीसिंध ढीपरी तह0 पीपल्दा था। कर्मचंद से ही रामकन्या के उच्छबकंवर पुत्री पैदा हुई जिसको लेकर ही रामकन्या ढव0 नन्दबिहारी के पास आई थी। रामकन्या स्व0 नन्दबिहारी की पत्नी नही थी अतः उच्छबकंवर नन्दबिहारी की पुत्री नही थी ऐसी स्थिति मे नन्दबिहारी से उच्छबकंवर का कोई रिश्ता नही है। ग्राम रामपुरा मे स्थित भूमि मे स्व0 नन्दबिहारी का 1/4 हिस्सा निहित है। नन्दबिहारी ने दिनांक 7.11.94 को रेस्पो0 क्रम–1 एवं उसके पति नन्दकिशोर एवं पुत्र हेमन्त कुमार के पक्ष मे एक वसियत निष्पादित कर दी उसके बाद रेस्पो0 ने नन्दबिहारी के साथ दुर्व्यहवार एवं मारपीट करने व हत्या का षडयंत्र करने लगे तब नन्दबिहारी ने दिनांक 17.1.97 को पुनः वसीयत अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित करते हुये दिनांक 7.11.94 को की गई वसीयत को निरस्त कर दिया। इस घटना के बाद बदला लेने की नियत से घर मे घुस कर नन्दबिहारी के साथ मारपीट की जिसकी रिपोर्ट दिनांक 26.9.2000 को थाना इटावा मे दर्ज करवाई। उसके बाद रेस्पो0 नन्दबिहारी को अधिक परेशान करने लगे तब अचानक दिनांक 9.10.2000 को नन्दबिहारी गुम हो गये उनके गुम होने की रिपोर्ट दिनांक 6.12.2000 को थाना इटावा मे दर्ज करवाई लेकिन पुलिस भी उनकी तलाश नही कर पाई। दिनांक 20.9.2015 को अपीलांट द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड इटावा मे नन्दबिहारी को मृतक घोषित किये जाने का वाद प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2014 को डिक्री कर नन्दबिहारी को मृतक घोषित कर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। अपीलांट स्व0 नन्दबिहारी के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी है नन्दबिहारी आजीवन अविवाहित रहने से उनका प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी नही है। अपीलांट नन्दबिहारी का सगा भाई व अपीलांट क्रम 2 व 3 भतीजे अर्थात भाई हरिशंकर के पुत्र तथा अपीलांट क्रम 4 हरिशंकर की बेवा है। रेस्पो0 क्रम–1 व 2 का स्व0 नन्दबिहारी से कोई संबध नही है। अतः अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 17.1.97 के आधार पर उनकी कृषि भूमि एंव अन्य सम्पत्ति के कानूनन स्वामी है तथा काबिज है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा दिनांक 4.5.2015 को अपीलांट के पक्ष मे वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश प्रदान करते हुये नामा0 सं0 761 तस्दीक किया गया वह पूर्ण रूप से कानून सम्मत था किन्तु तहसीलदार पीपल्दा ने अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से दिनांक 23.6.2015 को आदेश दिनांक 4.5.15 को निरस्त करते हुये नामा0 सं0 761 को निरस्त कर दिया जो सर्वता त्रुटि पूर्ण व अवैधानिक है। अपीलांट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नही हो सकी कारण की तहसीलदार द्वारा दोनो पक्षो की सुनवाई करने के पश्चात निर्णय की कोई तारीख निर्धारित नही की तथा अपीलांट द्वारा निर्णय की तारीख पूछने पर बताया गया कि निर्णय सुनाने से पूर्व आपको बुलाकर आपके समक्ष निर्णय सुनाया जायेगा। बार बार सम्पर्क करने पर भी निर्णय की कोई जानकारी नही दी गई अपीलांट को पटवारी द्वारा दिनांक 17.5.17 को बताने पर जानकारी हुई जिसकी नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर श्रृवण कर निर्णय प्रदान किया जाना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष मे पारित आदेश दिनांक 4.5.2015 एवं उक्त आदेश की पालना मे अपीलांट के पक्ष मे नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को तथा प्रकट किया कि नन्दबिहारी, कन्हैयालाल व हरिशंकर तीनो भाई थे नन्दबिहारी लाऔलाद थे हरिशकर फौत हो चुका है जिसके अपी0 कम 2 व 3 पुत्र व अपी0 कम–4 बेवा है। मृतक नन्दबिहारी के प्रथम श्रेणी के वारिस नही होने से तहसीलदार पीपल्दा ने विवादित भूमि का नामा0 अपीलांट के पक्ष मे खोलने का दिनांक 4.5.15 को आदेश पारित किया गया जिसकी पालना मे नामा0 सं0 761 खोला गया। रेस्पो0 रामकन्या नन्दबिहारी की पत्नी बताती है वह मीणा जाति से है रेस्पो0 कम–1 उच्छब कंवर रामकन्या की पुत्री है तहसीलदार ने इनके प्रा0 पत्र पर पूर्व निर्णय दिनांक 4.5.15 को रिव्यू करते हुये दिनांक 23.6.15 को पुनः निर्णय पारित कर दिया जो सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बाद उचित प्रतीत नही होता है। बहस मे बताया कि दिनांक 29.9.2000 को नंदबिहारी ने स्वयं पिडित होकर रामकन्या, उच्छबकंवर के विरूद्ध थाना इटावा मे एफआईआर दर्ज करवाई। इससे यह स्पष्ट है कि रामकन्याबाई स्व0 नन्दबिहारी के खाना बनाती थी। अपीलांट स्व0 नन्दबिहारी के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है तहसीलदार को अपने पूर्व पारित निर्णय को रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। प्रतिउत्तर मे यह भी जाहिर किया कि आलोच्य आदेश रिव्यू है क्योंकि निर्णय दिनांक 4.5.15 मे '' पूर्व मे दिये गये निर्णय.....हो गया था'' वर्णित किया है। ग्राम पंचायत को विवादित नामा0 तस्दीक करने की शक्तियां प्राप्त नही है। प्रमाण पत्र, एफआईआर उसका स्टेटमेंट है अतः सिविल कोर्ट से तय करावें। अन्त मे आलौच्य जेरअपील आदेश दिनांक 23.6.15 निरस्त किया जाकर पूर्व पारित निर्णय दिनांक 4.5.15 को यथावत रखा जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पारित जेरअपील आदेश रिव्यू नही है क्योंकि रेस्पो0 कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार पीपल्दा ने दोनो पक्षो को सुनकर साक्ष्य सबूत के आधार निर्णय पारित किया है। प्रथम दृष्टया स्कूल प्रमाण पत्र टी.सी. मे 1978 मे उच्छबकंवर के पिता का नाम नंदबिहारी दर्ज था परिवार राशनकार्ड मे पति का नाम नंदबिहारी स्वयं की आईडी मे पति का नाम नन्दबिहारी है जिसके आधार पर पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे आगे यह भी बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित आराजी के संबध मे नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय एसडीओ0 इटवा मे की गई जो दिनांक 25.1.2018 को खारिज कर दी गई। अतः उत्तराधिकार के संबध मे दोनो पक्ष पहले फैसला सिविल कोर्ट से तय करावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः अपील प्रकरण मे गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा जेरअपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.5.17 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसका रेस्पो0 द्वारा कोई प्रतिउत्तर/खण्डन नही किया गया। अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुवा विलम्ब सद्भाविक होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ/परीक्षण न्यायालय ने पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 4.5.15 को निरस्त किया है लेकिन नंदबिहारी अविवाहित होने से श्रीमति रामकन्या एव उच्छबकंवर को उनका विधिक वारिस प्रमाणित करने के लिये सक्षम न्यायालय का

उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाने पर ही भूमि का इनके नाम राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरकरण करवाया जाना उचित प्रतीत होने का दिनांक 23.6.2015 को जेरअपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्रम– 1 व 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे साक्ष्य मे गवाहान श्री दौलतराम, श्री रामगोपाल श्री विघाघर ,श्री बिरधीलाल, श्री श्रृवणलाल, श्री महावीर, एवं स्वय (रामकन्या व उच्छबकंवर) के बयान कलम बद्ध कराये गये है जिनकी जिरह का अवसर अपीलांट को दिया जाना प्रकट नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट के बयान भी लेखबद्ध नही किये गये है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को साक्ष्य व जिरह का अवसर दिये बिना अधीनस्थ/परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य/जेरअपील निर्णय दिनांक 23.6.2015 को विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 23.6.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः जांच कर तथ्यो का समुचित परीक्षण कर निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 23.6.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को निर्णय मे विवेचित तथ्यो के संबध मे अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने व जिरह का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यो की समुचित जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 10.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा